न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 52/2020

वादी :—	बनाम	प्रतिवादी :—
1. ओगड़राम पुत्र मालाराम जाति घांची निवासी चौधरियों का बास, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली राज०।		1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि—धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला—पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री किशन सोनी अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार, सोजत

—: निर्णय :— दिनांक — 25/4/22

...

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान) में नया खाता संख्या 118 पुराना खाता संख्या 108 के वर्तमान खसरा नम्बर 1018, 1020, 1023, 1033, 1039 कुल किता 05 कुल रकबा 0.7900 हैक्टर किस्म जा.अ.चा.प्र., ब.चा.प्र, चा.प्र.त्र की कृषि भूमि वादी ओगड़राम के नाम से आई हुई है। उक्त तमाम खसरा पुराने खसरा नबंर 137 से बने है जिसमें वादी के पिता का नाम ओगड़राम वल्द मालिया दर्ज था, जबकि वर्तमान खसरान में वादी के पिता का नाम ओगड़राम वल्द मानिया लिखा हुआ है, जो पुरानी जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 की नकल से बखूबी साबित हैं। तत्पश्चात सैटलमेन्ट के वक्त राजस्व अधिकारियों द्वारा पुराने खसरा नंबरान से नये खसरो को बनाया गया, जो वर्तमान खसरा बने उसमें वादी ओगड़राम के पिता नाम मालिया के स्थान पर मानिया कर दिया गया तथा पर्चा लगान में भी ओगड़ वल्द मानिया के नाम से जारी कर दिया, जबकि वादी के पिता का वास्तविक नाम मालाराम ही था, जो खसरा मिलान व पर्चा लगान से साबित है। वादी के नाम की और कृषि भूमि भी है, जिसके खसरा नंबर 3628 रकबा 0.7700 हैक्टर बारानी प्रथम सोजत चक प्रथम में स्थित है। जिसके पर्चा लगान में भी वादी का नाम ओगड़राम व पिता का नाम माला लिखा हुआ है तथा वादी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड इत्यादि में भी पिता का नाम मालाराम लिखा हुआ है, जबकि पिता का वास्तविक नाम मालाराम ही है। वादी कम पढ़ा—लिखा

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

व्यक्ति है तथा खातेदारी में उसका नाम लिखा हुआ था तथा मौके पर आज दिन तक निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है, इसलिए पिता के नाम पर कभी ध्यान नहीं दिया। हाल ही में वादी द्वारा बैंक किसान कार्ड बनाकर लॉन हेतु गया, तब यह प्रथम बार जानकारी हुई, तत्पश्चात नकले निकलवाई तो पता चला कि वादी के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड मालाराम के स्थान पर मानिया दर्ज है, जबकि वास्तविक नाम मालाराम ही है, उक्त कृषि भूमि वादी स्वयं की कृषि भूमि है तथा मानिया नाम से कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि मालिया यानि मानाराम ही थे, जो कि मुझ वादी के पिता का नाम ही है। इसलिए राजस्व रेकर्ड में मुझ वादी के पिता का नाम मानिया के स्थान पर मालाराम की घोषणा की जाकर राजस्व रेकर्ड में पिता का नाम शुद्धि किये जाने हेतु यह वाद श्रीमान के समक्ष पेश किया है। बिनायदावा वादी द्वारा हाल ही में राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने से जानकारी होने से तथा वादी द्वारा धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत श्रीमान के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से तथा न्यायालय द्वारा पुनः वादी पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए उक्त प्रार्थना पत्र को विड्रोल करने से तथा पुनः नया वादी वादी के पिता के वास्तविक नाम मालाराम की घोषणा करवाने एवं राजस्व रेकर्ड में पुनः वास्तविक नाम मालाराम शुद्धि इन्द्राज करवाने हेतु श्रीमान के समक्ष अन्दर म्याद पेश है। प्रतिवादी तहसीलदार भूमि धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में स्थित होने से यह वाद श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। अधिवक्ता वादी ने माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के इस अमर की सादिर फरमायी जावे कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत की वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नंबर 1018, 1020, 1023, 1033, 1039 में मुझ वादी के पिता का नाम मालाराम के स्थान पर घरेलू नाम मानिया राजस्व रेकर्ड में गलत नाम इन्द्राज है, इसलिये मुझ वादी के पिता के पिता का नाम मानिया के स्थान पर के वास्तविक नाम मालाराम घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत को जरिए सम्मनन वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। तहसीलदार सोजत को प्रर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जबाब दावा पेश नही करने से जबाब दावा का अवसर समाप्त कर जबाब दावा बन्द किया जाता हे।

बहस अधिवक्ता वादी तथा तहसीलदार, सोजत को सुना गया। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि सरहद

मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान) में नया खाता संख्या 118 पुराना खाता संख्या 108 के वर्तमान खसरा नम्बर 1018, 1020, 1023, 1033, 1039 कुल किता 05 कुल रकबा 0.7900 हैक्टर किस्म जा.अ.चा.प्र., ब.चा.प्र, चा.प्र.त्र की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का नाम गलत रूप से मानिया दर्ज है। वादी के पिता का नाम पर्चा लगान खसरा नम्बर 3628 में ओगड वल्द माला जर्द है किन्तु अन्य दस्तावेज में मालीया दर्ज है जो पश्चातवर्ती दस्तावेज में आज तक यथावत दर्ज है। जिसे दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने उक्तानुसार दुरूस्ती किये जाने में सहमति/स्वीकारोक्ति व्यक्त की है।

पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस उभय पक्ष पर गौर कर मनन किया गया। अधिवक्ता मय वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य पर्चा लगान खसरा नम्बर 3628 में वादी के दादा का नाम माला है जो अन्य दस्तावेज में मानीया दर्ज कर दिया गया। मानीया नाम अपने आप में अशुद्ध नाम है। वादी अपने दादा का नाम उक्त पर्चा लगान में दर्ज माला के आधार पर मालाराम करवाना चाहता हे। वस्तुतः प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिकारी 1955 सहपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान) में नया खाता संख्या 118 पुराना खाता संख्या 108 के वर्तमान खसरा नम्बर 1018, 1020, 1023, 1033, 1039 कुल किता 05 कुल रकबा 0.7900 हैक्टर किस्म जा.अ.चा.प्र., ब.चा.प्र, चा.प्र.त्र की कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज नाम मानिया के स्थान पर वास्तविक व सही नाम की संपुष्टि हो जाने से मालाराम दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

–:आदेशः–

अतः अधिवक्ता मय वादी वस्तुतः प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिकारी 1955 सहपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान) में नया खाता संख्या 118 पुराना खाता संख्या 108 के वर्तमान खसरा नम्बर 1018, 1020, 1023, 1033, 1039 कुल किता 05 कुल रकबा 0.7900 हैक्टर किस्म जा.अ.चा.प्र., ब.चा.प्र, चा.प्र.त्र की कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का गलत रूप से दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

नाम मानिया के स्थान पर वास्तविक व सही नाम मालाराम की संपुष्टि हो जाने से मालाराम घोषित किया जाता है। तहसीलदार सोजत को तदोनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। डिकी पर्चा मूर्तीब हो। निर्णय व डिकी की प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार सोजत को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 25/4/22 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत